कृषि अनुसंधान उप केन्द्र, समदड़ी, बाड़मेर
(कृषि विश्वविद्यालय, जोधपुर)

हिस्सा आधारित बीजोत्पादन फसलों की खेती हेतु निविदा (वर्ष 2019–20)

निविदा प्रपत्र क्रम संख्या	वर्ष 2019–20 / सं. 01
निविदा क्रम संख्या	क्रमांक:एफ / कृअनुउके / समदड़ी / निविदा / 2019 / 64 दिनांक:–08.05.2019 CUBN JAU1920 WSOB00009)
निविदा प्रपत्र शुल्क	500 / –रूपये रसीद संख्या:..दिनांक:–......................
निविदा वर्ष	2019–20 (खरीफ 2019 व रबी 2019–20)
खेती की अनुमानित अवधि	खरीफ–2019 व रबी 2019–20 (जून 2019 से अप्रेल 2020 तक)
अनुमानित लागत	रू. 350000 / –
परिशिष्ट संख्या – एक	हिस्सा आधारित बीजोत्पादन फसलों की खेती हेतु निविदा प्रपत्र
परिशिष्ट संख्या – दो	हिस्सा आधारित बीजोत्पादन फसलों की खेती हेतु निविदा की आवश्यक शर्तें
निविदा प्रपत्र उपलब्ध होने की तिथि	09.05.2019
निविदा जमा कराने की अंतिम तिथि	27.05.2019 दोपहर 12.15 बजे तक
निविदा खोलने की तिथि	27.05.2019 दोपहर 01.00 बजे
निविदा खोलने का स्थान	कार्यालय, कृषि अनुसंधान उप केन्द्र, समदड़ी, बाड़मेर
पत्राचार हेतु पता	प्रभारी अधिकारी, कृषि अनुसंधान उप केन्द्र, समदड़ी, बाड़मेर (कृषि विश्वविद्यालय, जोधपुर) (राज.) 344021

नोट:– धरोहर राशि कार्यालय, कृषि अनुसंधान उप केन्द्र, समदड़ी, बाड़मेर में किसी भी कार्य दिवस में जमा करायी जा सकती है। धरोहर राशि दिनांक 27.05.2019 दोपहर 12.15 बजे तक ही स्वीकार की जायेगी। धरोहर राशि रोकड़ या बैंक ड्राफ्ट द्वारा जो कि ऑफिसर ईंचार्ज, एग्रीकल्चरल रिसर्च सब स्टेशन, समदड़ी, (Officer Incharge, ARSS, Samdari) के नाम देय हों, जमा करायी जा सकती हैं।

संलग्न:–निविदा प्रपत्र एवं आवश्यक शर्तें–

प्रभारी अधिकारी

परिशिष्ट–1

हिस्सा आधारित बीजोत्पादन फसलों की खेती हेतु निविदा प्रपत्र (वर्ष 2019-20)

(निविदा शर्तों का ध्यानपूर्वक अध्ययन करने के पश्चात् ही निविदा प्रस्तुत करें)

निविदा क्रम संख्या	क्रमांकःएफ/कृअनुउके/समदड़ी/निविदा/2019/64 दिनांकः–09.05.2019
निविदा का नाम	हिस्सा आधारित प्रणाली पर वर्ष 2019–20 में बीजोत्पादन फसलों की खेती
खेती की अनुमानित अवधि	खरीफ–2019 व रबी 2019–20 (जून 2019 से अप्रेल 2020 तक)
निविदादाता का नाम व पता	.... दूरभाष नं..
धरोहर राशि का विवरण	रूपये 7000/– (अक्षरे सात हजार मात्र) (रोकड़/बैंक ड्राफ्ट) रसीद सं.......................................दिनांक........................... बैंक ड्राफ्ट संख्या............................... दिनांक........................... बैंक का नाम....................................शाखा.............................

कृषि अनुसंधान उप केन्द्र, समदड़ी, बाड़मेर के फार्म पर वर्ष 2019–20 में हिस्सा आधारित बीजोत्पादन फसलों की पैदावार में दाना/बीज उपज में निविदादाता/ठेकेदार एवं कृषि अनुसंधान उप केन्द्र, समदड़ी, बाड़मेर की हिस्सेदारी :–

क्र. सं.	मौसम व वर्ष	निविदादाता/ठेकेदार का हिस्सा (प्रतिशत में)	कृषि अनुसंधान उप केन्द्र, समदड़ी, बाड़मेर का हिस्सा (प्रतिशत में)	निविदादाता के हिस्से का उत्पादन कृषि अनुसंधान उप केन्द्र, समदड़ी, बाड़मेर द्वारा क्रय करने पर औसत दर से देय अतिरिक्त राशि (अधिकतम 10 प्रतिशत तक)
1.	खरीफ 2019			
2.	रबी 2019–20			

हस्ताक्षर–निविदादाता (ठेकेदार)
निविदादाता का नाम...............................
पता...

परिशिष्ट–2

हिस्सा आधारित बीजोत्पादन फसलों की खेती हेतु निविदा की आवश्यक शर्तें

(निविदा शर्तों का ध्यानपूर्वक अध्ययन करने के पश्चात् ही निविदा प्रस्तुत करें)

1. निविदा सीलबन्द लिफाफे में क्षेत्रीय निदेशक अनुसंधान, कृषि अनुसंधान केन्द्र, मण्डोर, जोधपुर के नाम देय हों तथा निविदा लिफाफे पर **"हिस्सा आधारित बीजोत्पादन फसलों की खेती हेतु निविदा दिनांक 27.05.2019 दोपहर 12.15 बजे तक देय"** तथा निविदादाता का पता लिखा होना चाहिये।
2. निविदा बॉलप्वाईट नीली स्याही से हाथ से लिखी होनी चाहिये एवं हिस्सा (प्रतिशत में) अंकों व शब्दों में स्पष्ट लिखा होना चाहिये तथा किसी प्रकार की कांट छांट अथवा ऊपर ठीक किया हुआ कोई अक्षर स्वीकृत नहीं होगा।
3. निविदा प्रपत्र के प्रत्येक पेज पर निविदादाता के हस्ताक्षर होने चाहिये।
4. निविदा दरें वर्ष 2019–20 के लिए अनुमोदन के बाद एक वर्ष की अवधि के लिए मान्य होगी जिसमें खरीफ–2019 व रबी 2019–20 मौसमों के लिए अनुमोदित की गई दरें उक्त मौसमों की समय अवधि लिए ही मान्य होगी।
5. निविदा के साथ 7000/– रूपये की धरोहर राशि रोकड़ अथवा बैंक ड्राफ्ट, जो कि ऑफिसर इंचार्ज, एग्रीकल्चरल रिसर्च सब स्टेशन, समदड़ी, (Officer Incharge, ARSS, Samdari) के नाम देय हों, प्रस्तुत करें। धरोहर राशि के बिना एवं निर्धारित दिनांक एवं समय के पश्चात् प्राप्त निविदा पर कोई विचार नहीं किया जायेगा। चैक के रूप में धरोहर राशि स्वीकार नहीं की जायेगी।
6. ट्रेक्टर सम्बन्धी कार्य यथा डिस्क प्लाउ व कल्टीवेटर द्वारा भूमि तैयारी का कार्य व बुवाई आदि हेतु आवश्यक मशीनरी की व्यवस्था केन्द्र द्वारा की जायेगी अर्थात् इनसे संबंधी डीजल खर्च, वाहन चालक व्यवस्था में निविदादाता का कोई योगदान नहीं होगा। परन्तु इस कार्य में समस्त प्रकार के श्रमिक अवयव ठेकेदार के होंगे।
7. बुवाई हेतु बीज एवं खाद की आपूर्ति केन्द्र द्वारा की जायेगी। खेत की सफाई, जुताई, सीड ड्रिल द्वारा बुवाई, खरपतवार निकालना, सफाई व पैकिंग आदि का कार्य ठेकेदार स्वयं ही करायेगा अर्थात बुवाई से लेकर फसल काटने, फसल की चौकीदारी करने व उत्पादन निकालने तक का श्रमिक अवयव व इसके बाद उत्पादन की सफाई करके उसे बोरों में भरकर पैकिंग कर गोदाम में तौलने तक की प्रक्रिया में लगने वाला समस्त श्रमिक अवयव निविदादाता का ही होगा।
8. फसल वृद्धि के दौरान रोग व कीट प्रकोप की स्थिति में फफूंदनाशक, कीटनाशक व अन्य छिड़काव आदि की आपूर्ति भी केन्द्र ही करेगा, परंतु श्रमिक अवयव निविदादाता के ही होंगे।
9. कृषि अनुसंधान उप केन्द्र, समदड़ी, बाड़मेर के फार्म पर फसलोत्पादन वर्षा आधारित होता है। अतः रबी की फसल के लिए सिंचाई हेतु पानी की व्यवस्था निविदादाता को ही करनी होगी।
10. बीज उत्पादन हेतु विभिन्न प्रकार की शस्य क्रियाऐं जैसे निराई–गुड़ाई (कम से कम दो बार) एवं रोगिंग (अवांछित पौधों को निकालना) प्रभारी अधिकारी/फार्म प्रभारी/फार्म मैनेजर के निर्देशानुसार करनी होगी तथा सभी श्रमिक अवयव निविदादाता को वहन करना होगा।

11. निराई–गुड़ाई व अन्य कृषि से सम्बन्धित कार्य मौसम की स्थिति को देखते हुए करने होंगे। प्रतिकूल मौसम होने पर उक्त कार्य रोके जाने का अधिकार प्रभारी अधिकारी/फार्म प्रभारी/फार्म मैनेजर को होगा।
12. किसी भी विवाद का निपटारा करने हेतु **प्रभारी अधिकारी, कृषि अनुसंधान उप केन्द्र, समदड़ी/** क्षेत्रीय निदेशक अनुसंधान, कृषि अनुसंधान केन्द, मण्डोर, जोधपुर का निर्णय अन्तिम रूप से मान्य होगा तथा ठेकेदार इसके लिये बाध्य होगा।
13. फसलों की रखवाली करने की, समय पर निराई–गुड़ाई व जैविक दवाओं का छिड़काव/भुरकाव तथा समय पर कटाई की पूर्ण जिम्मेदारी निविदादाता की होगी। इसमें शिथिलता बरतने व नुकसान होने पर समिति द्वारा आंकलन किया जायेगा, जिसे निविदादाता के भुगतान में से काट लिया जायेगा।
14. ठेकेदार के श्रमिकों द्वारा यदि फार्म की सम्पत्ति को किसी भी प्रकार की कोई कृषि या अन्य नुकसान पहुंचाया गया तो उसका हर्जाना ठेकेदार को भरना होगा अन्यथा नुकसान का हर्जाना अदा नहीं करने पर धरोहर राशि में से काट लिया जायेगा।
15. धरोहर राशि पर कोई ब्याज देय नहीं होगा एवं ठेका समाप्ति पर राशि लौटा दी जायेगी ।
16. फसल के दौरान निविदादाता स्वंय के पशु वगैरहा फार्म पर नहीं लायेगा तथा ना ही यहां से हरा चारा आदि ले जाने दिया जायेगा।
17. कृषि अनुसंधान उप केन्द्र, समदड़ी, बाड़मेर के फार्म पर उपलब्ध घास, लूंग, पातड़ी व पेड़ इत्यादि पर ठेकेदार का कोई अधिकार नहीं होगा।
18. निविदादाता (ठेकेदार) उक्त केन्द्र की भूमि पर किसी प्रकार के स्वामित्व का दावा नही करेगा तथा किसी अन्य व्यक्ति को काश्त हेतु आगे से आगे नहीं देगा अन्यथा उसका ठेका रद्द कर दिया जायेगा।
19. निविदादाता को केन्द्र के मुख्य द्वार से ही आना–जाना करना होगा। किसी भी अवांछित व्यक्ति को फार्म पर आने की इजाजत नहीं होगी।
20. हिस्सा आधारित बीजोत्पादन खेती की बुवाई के क्षेत्रफल को बढ़ाने या कम करने का तथा फसलों के चयन का अधिकार **प्रभारी अधिकारी, कृषि अनुसंधान उप केन्द्र, समदड़ी** / क्षेत्रीय निदेशक अनुसंधान, कृषि अनुसंधान केन्द, मण्डोर, जोधपुर को होगा।
21. केन्द्र के फार्म पर निविदादाता को प्रभारी अधिकारी/फार्म प्रभारी/फार्म मैनेजर द्वारा बताई गई फसलों की ही बुवाई करनी होगी, इसके अलावा कोई भी फसलों की बुवाई निविदादाता द्वारा नहीं की जा सकेगी।
22. फार्म कार्य हेतु आवश्यक मशीनरी जैसे फावड़ा, कुदाली, गेती, खुरपी, दांतली आदि ठेकेदार को स्वंय लाने होंगे।
23. निविदादाता को खरीफ–2019 व रबी 2019–20 मौसमों में बीजोत्पादन फसलों की खेती से प्राप्त उपज उक्त मौसमों की समय अवधि में समय पर जमा करानी होगी।
24. फार्म पर उत्पादित बीज में से ठेकेदार के हिस्से को खरीदने का पहला हक अनुसंधान केन्द्र का होगा। यदि निविदादाता के हिस्से का उत्पादन इस केन्द्र द्वारा क्रय किया जाता है तो केन्द्र उसे उपज जमा कराने के तुरंत पश्चात् जोधपुर कृषि उपज मंडी के एक सप्ताह के औसत भाव से अतिरिक्त राशि (प्रतिशत में) जो कि निविदा स्वीकृति में देय है, की दर से भुगतान करेगा। अन्यथा ठेकेदार अपना हिस्सा स्वयं ले जाने व बेचने को स्वतंत्र होगा।

25. बीज उत्पादन प्रक्रिया में फसल के चारे पर पूरा हक ठेकेदार का होगा, केन्द्र उसमें से कोई हिस्सा नही लेगा ।
26. अमानत राशि/धरोहर राशि कार्य पूरा हो जाने के बाद लौटा दी जायेगी। सफल निविदादाता के अलावा सभी को धरोहर राशि निविदा अनुमोदन के बाद प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने पर 7 दिन में लौटा दी जायेगी। धरोहर राशि पर कोई ब्याज देय नहीं होगा।
27. किसी भी विवाद का निपटारा करने हेतु क्षेत्रीय निदेशक अनुसंधान, कृषि अनुसंधान केन्द, मण्डोर, जोधपुर का निर्णय अंतिम रूप से मान्य होगा और ठेकेदार पालना के लिये बाध्य होगा। विशेष परिस्थितियों में विवाद को माननीय कुलपति महोदय, कृषि विश्वविद्यालय, जोधपुर के ऑविष्ट्रेशन में प्रस्तुत करना होगा और उनका निर्णय ठेकेदार को मान्य होगा।
28. किसी भी निविदा को बिना कारण बतायें निरस्त करने का अधिकार प्रभारी अधिकारी, कृषि अनुसंधान उप केन्द्र, समदड़ी / क्षेत्रीय निदेशक अनुसंधान, कृषि अनुसंधान केन्द, मण्डोर, जोधपुर के पास सुरक्षित रहेगा एवं प्रभारी अधिकारी / क्षेत्रीय निदेशक अनुसंधान के निर्णय सर्वमान्य होंगे।

मुझे निविदा की समस्त शर्ते मंजूर हैं तथा मैं उपरोक्त वर्णित शर्तों पर उक्त खेती करने के लिये सहमत हूँ।

निविदादाता/ठेकेदार के हस्ताक्षर

दिनांक..

हस्ताक्षर कमेटी सदस्य

1.

2.

3.

4.

5.

प्रभारी अधिकारी
हस्ताक्षर मय सील